फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी **मुकाम** बाप (फलोदी)

हनुमानराम सियोल वगैरा **बनाम** राज्य सरकार

किस्म मुकदमा 152 सी.पी.सी. **मु.नं.** 29 **सन्** 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/2/26	प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रकिया संहिता 1908 के तहत विरूद्व अप्रार्थी पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। मूल पत्रावली तलब की जाकर दिनांक 13/02/2026 को पेश हो। सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)	
13/2/26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। मूल प्रा० पत्र तलब किया जाकर नस्ती किया गया। प्रार्थी ने प्रा० पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि ग्राम बाप के खेत खसरा नम्बर 375, 375/1, 376, 376/1, की भूमि में रास्ते हेतु प्रा० पत्र पेश किया था जिसके मुकदमा नं० 276/2025 है। उक्त प्रा० पत्र का निर्णय दिनांक 15/10/25 को कर दिया था। लेकिन उक्त प्रा० पत्र के क्रियात्मक आदेश के पैरा में पंक्ति 01 तथा 02 में ग्राम बाप के स्थान पर ग्राम बाप लिपिकीय त्रुटिवश अंकन कर दिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम बाप के स्थान पर ग्राम बाप्र अंकित कर संशोधित आदेश जारी किये जाने के आदेश फरमावे। पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि मूल प्रा० पत्र मुकदमा नम्बर 276/2025 का निर्णय लिखते समय सहवश से ग्राम बाप्र के स्थान पर ग्राम बाप अंकित कर दिया गया जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। -: आदेश :- प्रार्थी का प्रा० पत्र u/s 152 CPC का स्वीकार किया जाता है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण सं. 276/25 अनवान हनुमानराम सियोल बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 15/10/25 के क्रियात्मक आदेश में आंशिक संशोधन करते हुवे ग्राम बाप के स्थान पर ग्राम बाप्र पढा व समझा जावे। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। जिजन फैसल मुताबिक बैकर नम्बर से फर्द बाद में नस्ती में। सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)	